

डॉ. सी. वी. रामन् विश्वविद्यालय, करगीरोड कोटा, जिला- बिलासपुर (छ.ग.)

क्रमांक /

गोप. / पुनर्मू./पुनर्ग. / बिलासपुर,

दिनांक

-: पुनर्मूल्यांकन / पुनर्गणना की सूचना :-

टीप :-परीक्षा का नाम , अनुक्रमांक, नामांकन क्रमांक , विषय, प्रश्नपत्र एवं स्वयं के पते की पूर्तियां छात्र सुवाच्य लेख में स्वयं करें ।

छात्र का नाम

अनुक्रमांक नामांकन क्रमांक

परीक्षा का नाम वर्ष की मुख्य / पूरक परीक्षा

विषय (1) प्रश्न -पत्र

(2) प्रश्न -पत्र

-: कार्यालयीन उपयोग के लिए :-

आपके पुनर्मूल्यांकन / पुनर्गणना आवेदन - पत्र के संदर्भ में सूचित किया जाता है कि पुनर्मूल्यांकन / पुनर्गणना के पश्चात :-

- (1) अंको में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ।
- (2) मात्र अंको में परिवर्तन हुआ है ।
- (3) अनुत्तीर्ण से पूरक घोषित किया गया है ।
- (4) पूरक से उत्तीर्ण घोषित किया गया है ।

पूरक घोषित छात्र को पूरक परीक्षा आवेदन - पत्र जमा करने हेतु (इस पत्र की छायाप्रति संलग्न करने पर) बिना विलम्ब शुल्क के आवेदन-पत्र जमा करने की अनुमति कृपया दी जावे ।

उप / सहायक कुलसचिव (गोपनीय)

डॉ.सी.वी.रामन् विश्वविद्यालय

(छात्र स्वयं का पता सुवाच्य लेख में लिखें)

प्रति,

प्रति,

कुलसचिव,

डॉ.सी.वी.रामन् विश्वविद्यालय

करगीरोड-कोटा, बिलासपुर (छ.ग.)

पिन कोड:- 495113

डॉ.सी.वी.रामन् विश्वविद्यालय,करगीरोड कोटा,बिलासपुर (छ.ग.)

पुनर्मूल्यांकन / पुनर्गणना हेतु आवेदन -पत्र

(समस्त पूर्तियां छात्र स्वयं सुवाच्य लेख में करें ।)

दिनांक

- 1- परीक्षार्थी का नाम पूरा पता
- 2- परीक्षा का नाम (अंकसूची की प्रतिलिपि संलग्न करें)
- 3- परीक्षा केन्द्र का नाम
- 4- अनुक्रमांक
- 5- नामांकन/पंजीयन क्रमांक
- 6- मुख्य /पूरक परीक्षा वर्ष 200
- 7- परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि

8- विषय तथा प्रश्न-पत्र का नाम जिसमें पुनर्मूल्यांकन / पुनर्गणना करना है । (नियमानुसार पुनर्मूल्यांकन हेतु अधिकतम दो प्रश्न-पत्रों की उत्तर-पुस्तिकाओं के लिए आवेदन करें ।)	प्रश्न-पत्र में प्राप्त अंक.	
	प्राप्तांक	पूर्णांक
(अ)		
(ब)		

घोषणा

मे विश्वविद्यालय के अध्यादेश में उपर्युक्त विषय में निहित प्रावधान की शर्तों को तथा समय-समय पर उसमें हुए संशोधनों को पालन करने के लिए बाध्य हूँ ।

उपरोक्त आवेदन -पत्र का निराकरण पुनर्मूल्यांकन पद्धति में सुधार के नियमानुसार किया जायेगा,जो मुझे स्वीकार्य होगा तथा इस संबंध में विश्वविद्यालय का नियम मुझे मान्य होगा ।

पता _____

(परीक्षार्थी के पूर्ण हस्ताक्षर)

नोट :- 1- छात्र पुनर्मूल्यांकन के विषय सोच समझकर भरें क्योंकि किसी भी परिस्थिति में विषय परिवर्तन करना

सम्भव नहीं है ।

2- विश्वविद्यालय मे प्राप्त अंकसूची की तिथि जो अंकसूची पर अंकित है से 15 दिनों के अन्दर आवेदन स्वीकार किया जावेगा । इसके बाद के बने बैंक ड्राफ्ट स्वीकार नहीं होंगे ।

केवन कार्यालय उपयोग के लिए

अध्यादेश अनुसार कृपया रूपया स्वीकार करें ।